[Shri K. Hanumanthaiya]

copy of the Fortieth Report of the Law Commissin on Law relating to the Attendance of Prisoners in Courts. [*Placed in Library. See No. LT-4117/70*]

श्री मोलहू प्रसाद (बांसगांव) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप नियम 59 देखिये । मैंने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है । आज की कार्य-सूची में ...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने आज एक एडजार्नमेंट मोशन दिया है । एडजार्नमेंट मोशन का विषय यह है कि जो शेडयूल कास्ट रिपोर्ट पर डिस्कशन होना था वह आज के एजेंडे पर क्यों नहीं रखा गया ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : बड़ा गंभीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : हां, बड़ा गम्भीर मामला है ।

आप मुझसे मिलिएगा बाद में, मैं आपको समझा दूंगा । इस जगह इस को न उठाइए ।

श्री मोलहू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुन लीजिये । निर्णय लेना आपके अधिकार में है । हमारी बात सुनकर आप बाद में जो फैसला चाहें करें । आप उसके लिए सक्षम हैं । मैं नियम 59 आपको पढ़कर सुना रहा हूं ... (**व्यवधान**) 14 घंटा इस पर बहस चली और उस बहस का उत्तर भी नहीं दिया जा रहा है, आप उस मामले को टालते जा रहे हैं . . . (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि जो मुझे इस सम्बन्ध में पावर है उसको मैं माननीय सदस्य के लिए इस्तेमाल करूं । आप लोग भी कुछ उन्हें समझाइए ।

श्री जनेश्वर मिश्र (फुलपुर) : एक मिनट हमारा नम्र निवेदन सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, पेपर्स ले ही लेने दीजिए ।

KERALA UNIVERSITY (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V.K.R.V. RAO) : I beg to lay on the Table a copy of the Kerala University (Second Amendment) Ordinance, 1970 (Kerala Ordinance No. 3 of 1970) promulgated by the Governor of Kerala on the 20th April, 1970, under article 213(2) (a) of the Constitution read with clause (c) (iii) of the Proclamation dated the 4th August, 1970, issued by the president in relation to the State of Kerala. [*Placed in Library. See No. LT-4119/70.*]

KERALA PUBLIC SERVICE COMMISSION (ADDITIONAL FUNCTIONS AS RESPECTS CERTAIN CORPORATION AND COMPANIES) ORDINANCE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA] : I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Kerala Public Service Commission (Additional Functions as respect certain Corporation and Companies, (Ordinance, 1970) (Kerala Ordinance No. 4 of 1970) promulgated by the Governor of Kerala on the 24th April, 1970, under article 213 (2) (a) of the Constitution read with clause (c) (iii) of the Proclamation dated the 4th August, 1970, issued by the President in relation to the State of Kerala.

(2) A statement (Hindi and English versions) explaining the reasons for laying the Ordinance. [*Placed in Library. See No. LT-4118/70*